

तार का पता: "मिनीस्टील"

Telegraphic Address : "MINISTEEL"



सूचना का
अधिकार

सं० _____

No. 31016/3/2013-Ad(4)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

उद्योग भवन

UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110107 12 अप्रैल, 2013

New Delhi-110107

सेवा में,

साई फ्लोरिस्ट,
28, Ground Floor, कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली-110003

विषय:- इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2013-2014 में फूलों की आपूर्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपकी निविदा पत्र दिनांक 14/2/2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपके द्वारा फूलों एवं पौधे की सप्लाई के सम्बन्ध में दी गई दरें इस मंत्रालय द्वारा **संलग्न** शर्तों के आधार पर स्वीकृत की गई है ।

जिस की अवधि दिनांक 02.04.2013 से 31/3/2014 तक होगी ।


क्रम सं.	फूलों का नाम	दर (प्रति दर्जन)
1.	गलाईडोला/ जरवेरा/गुलाब /कारनेशन फूल इत्यादि एवं हरी पत्ती सहित)	110/-रु. प्रति दर्जन
2.	आर्किट	190/-रु. प्रति दर्जन
3.	मिटिंग सिप 350 फूल /गुलाब लिली/आर्किट कारनेशन जरवेरा इत्यादि	2200/-रु.प्रति सिप
4.	साधारण बुक्का 35 फूल गुलाब जरवेरा इत्यादि	350/-रु.प्रति बुक्का
5.	मध्यम दर्जे का बुक्के 50 फूल गुलाब जरवेरा इत्यादि	650/-रु.प्रति बुक्का
6.	बडा बुक्का लिली/आर्किट 10 पीस लिली 10 पीस आर्किट)	1650/- रु प्रति बुक्का
7.	फलावर बास्केट 35 फूल	350/-रु प्रति बास्केट
8.	साधारण पौधे (मध्यम साईज के गमले में)	45/- रु प्रति पौधा
9.	स्पेशल पौधे (मध्यम साईज के गमले में)	55/- रु प्रति पौधा
10.	फूल लगाने का सर्विस चार्ज	4000/- रु प्रति माह
11.	दानसिंह लक्की बाम्बू एवं कांच जार (Big)	250 रु दर प्रति बाम्बू एवं कांच जार (Big)
12.	लक्की बाम्बू एवं कांच जार (Small)	600 रु प्रति बाम्बू (Bunch) एवं कांच जार (Small)

भवदीय,
रमेश शर्मा
(एच के वधवा)
अवर सचिव

शर्त:-

1. आपकी फर्म से एक माली इस्पात मंत्रालय स्थित गेट न. 5 उद्योग भवन पर कक्षों में पुष्प सज्जा हेतु प्रतिदिन सुबह 8.00 बजे उपस्थित होगा ।
2. फूल स्वच्छ एवं ताजे होने चाहिए अन्यथा वापिस कर दिए जाएंगे ।
3. यदि आपका माली बिना सूचना के समय पर उपस्थित नहीं होगा तो उस दिन के फूलों की कीमत आपके बिल से काट ली जाएगी और फूल बाजार से खरीद लिए जाएंगे ।
4. किसी विशेष अवसर पर आर्डर देने पर फूलों की सप्लाई शीघ्र की जाएगी ।
5. बिल का भुगतान प्रति माह ECS द्वारा किया जाएगा ।
6. यह अनुबन्ध किसी भी समय बिना कारण बताए अनुबन्ध की अवधि से पहले भी समाप्त किया जा सकता है ।
7. इंटीग्रीटी पेक्ट इस्पात मंत्रालय और मेसर्स साई फ्लॉरिस्ट, का Annexure-A पर सलंगन है

Copy: + N2C



(एच के वधवा)

अवर सचिव

एच के वधवा / E. K. Maheshwari
अवर सचिव / Under Secretary
उद्योग, मंत्रालय / Ministry of Steel
उद्योग भवन, नई दिल्ली
Udyog Bhawan, New Delhi.